IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्तमान समय में मद्यपान के संबंध में प्रभाव एवं बाधाएं 'ोधसार

तीर्थराज भारद्वाज

'ोध छात्र विधि अध्ययन 'ाला

जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर (म.प्र.)

गांव का जीवन इस प्रकार का नहीं जो व्यक्ति को मादक पदार्थों के सेवन की प्ररणा दे सके। इसके विपरीत नगरीय सभ्यता की चकाचौंध में आंतरिक और वैयक्तिक संबंधों का नामोनिशान भी नहीं होता। यहां हर व्यक्ति औपचारिकता का मुखौटा लगाये अपने काम में ही व्यस्त रहता है। इस व्यस्तता औपचारिकता और शोर से उत्पन्न तनावों को कम करने के लिए युवा वर्ग मादक पदार्थों की ओर आकर्षित होता जा रहा है सच तो यह है कि आज एक अलग नगरीय संस्कृति विकसित हो गयी है, जिसमें माता–पिता के पास अपने बच्चों के पास बैठकर बात करने का समय नहीं होता और बच्चे मादक पदाथों का सेवन करके जिन अभद्र व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं उसकी जिम्मेदारी मात्र उन्हीं का दायित्व समझा जाता है।

साधारणतः मादक पदार्थ महंगे होते हैं। कई तरह की शराब और कुछ मादक द्रव्य तो अत्यधिक महंगे होते हैं। निर्धन व्यक्तियों के लिए इनकी व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण सर्वसाधारण की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। मद्यपान आधुनिकता का प्रतीक बन गया है। औद्योगिक श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, व्यावसाईयों तथा औद्योगिक श्रमिकों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के अधिकारियों के बीच मद्यपान निरतर बढ़ता जा रहा है।''[1] वंशानुगत स्नायविक कमजोरी के कारण ऐसे व्यक्तियों में कुछ पैदायशी विकृति तथा अवगुण होते हैं जिनके कारण वे अपने को समाज में रहने के काबिल नहीं बना पाते। ऐसे व्यक्ति समाज से भाग जाना चाहते हैं और इसी कारण वे शराबी बन जाते हैं।

भारत में मादक पदार्थों के बढ़ते हुए सेवन का एक प्रमुख समाज विरोधी तत्वों के निहित स्वार्थ भी है। जो लोग मदिरा, स्मैक, हीरोइन, चरस, गांजे और अफीम की तस्करी में लगे हुए हैं वे सदैव यह प्रयत्न करते हैं कि इनकी खपत में अधिक से अधिक वृद्धि हो। परिणामस्वरूप अनेक लोगों के माध्यम से जुए के अड्डों, शराबखानों और विद्यार्थी समूहों के बीच नशीले पदार्थों के प्रति जिज्ञासा ही नहीं पैदा की जाती बल्कि कभी कभी इन पदार्थों का मुफ्त वितरण भी करवाया जाता है। एक बार इनका सेवन कर लेने के बाद बहुत से व्यक्ति इसके आदी बन जाते हैं। कई लोग लड़के–लड़कियों को इसका सेवन इसलिए कराते हैं कि एक बार इसकी आदत बन जाने के पश्चात् वे लोग पैसे देकर इनका भी खर्च वहन करेंगे। अनेक दवा विक्रेता भी अपने आर्थिक लाभ के लिए मादक पदार्थ सरलता से उपलब्ध कराते रहते हैं जिससे इस समस्या को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन के कुप्रभाव व्यक्ति, परिवार समुदाय और समाज पर व्यापक रूप से पड़ते हैं। मानव जीवन का शायद ही कोई पहलू है जो इस व्यसन से कम या अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके व्यापक कुप्रभावों से अवगत होने के बावजूद इनका प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। साधारणतः मादक पदार्थों के प्रभाव उनके प्रकार, सेवन की मात्रा तथा अभ्यस्त लोगों की स्थिति पर निर्भर करते हैं मद्य एवं अवैध मदिरा के निम्नलिखित मुख्य कुप्रभाव हैं।

शराब के लगातार सेवन से कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसके आधार पर भी इसके आदी होने को पहचाना जा सकता है। जैसे–हमेशा शराब सेवन करने की प्रबल इच्छा या तलब, शराब छोड़ने पर शरीर में कम्पन होना, रक्तचाप अनियमित हो जाना, घबराहट, बेचैनी होना, कानों में आवाज सुनाई पड़ना, आंखो के सामने कीड़े–मकोड़े चलते नजर आना, भयभीत होना, नींद न आना आदि।''[2] दुबारा सेवन करते ही इन लक्षणें में सुधार होना पाया जाता है।

लम्बे समय तक अधिक मात्रा में सेवन करना। रूचिकर कार्यो से विमुख होने और अधिकतर समय शराब की तलाश में बिताना या नशे के प्रभाव में रहना। शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभावों के बावजूद सेवन बंद नही करना या कोशिश करने के बावजूद सेवन बंद नही कर पाना। सामाजिक, व्यवसायिक, पारिवारिक क्षेत्रो में हनन। मानसिक प्रभाव कम मात्रा में मद्यपान से अतिरंजित आनन्द की अनुभुति करता है, उसकी हृदय, नाड़ी, और सांस तेज होती है। जब मनुष्य नशे में रहता है तो सारी दुनिया में भ्रमण करता रहता है। नशे की स्थिति में उसमें सोचने–समझने या सामान्य रूप से कार्य करने की शक्ति नहीं होती उस अवस्था में वह कुछ भी कर सकता है। नशा उतरने के बाद तथा सामान्य जीवन में भी उसकी मानसिक

विकृति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगती है। पद्यपान से मनुष्य की स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। उसमें चिंता अनिद्रा, पागलपन, यौन उत्तेजना, शंका, उदासी आदि मनोविकृतिया आ जाती हैं। उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है तथा वह कभी–कभी हिंसा पर भी उतारू हो जाता है। इसके निरंतर सेवन से निम्नलिखित मानसिक बीमारिया हो जाती हैं–

यह रोग प्रायः महिलाओं को होता है। इसके लक्षण बड़े तीव्र होते हैं जो बीस–पच्चीस साल के लम्बे अरसे से शराब पीते रहने का परिणाम है। इससे पाचन बिगड़ जाता है और शरीर में विटामिन–बी की भी कमी हो जाती है। उसे रोग के पूर्व की घटनाएं तो याद रहती हैं पर बाद की नहीं। बाहय स्नायु व्यवस्था का ह्रास हो जाना भी इसकी विशेषता है। उसके हाथ पैर में दर्द होता है और रक्तचाप में गड़बड़ी आ जाती है।

यह विकृति भी वर्षो मद्यपान करने के कारण ही होती है। जैसे ही इस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं पहले दिनों में व्यक्ति को शराब से अरुचि रहती है। इस उन्माद के लक्षण तीन चार दिन तक तीव्र रहते हैं। यह रोग प्रायः सामान्य व्यक्तित्व वाले लोगों को होता है। इससे भी विटामिन–बी की कमी हो जाती है। रोगी को हल्के उन्माद के लक्षण हो जाते हैं, जैसे चिन्ता, अनिद्रा, ऐंठन, ज्ञानेन्द्रियों की अतिशय क्रियाशीलता, हाथ पैर का कम्पन, विभ्रम, बेचैनी, बुखार, पसीना आना और सिरदर्द आदि।''[3]

भारत में मदिरा व्यवसाय एवं मदिरा उपभोग को रोकने के प्रयत्न– भारत में प्राचीन काल से ही मदिरा व्यवसाय एवं मदिरा उपभोग को रोकने या उसे नियंत्रित करने के लिए समय–समय पर प्रयास किए गए हैं। ''जड़ी–बूटियों की पत्तियों–फूलों तथा इससे बनी उन समस्त खाने–पीने वाली औषधियों पदार्थों, द्रव्यों की परंपरा भारत में चिरकालीन है जिनसे आनन्द उन्माद, उत्प्रेरणा, उल्लास तथा मानसिक एवं शारीरिक सुख की अनुभूति होती है।''[4]

प्राचीन काल के धार्मिक ग्रन्थों में सोमरस या भांग का वर्णन है। गांजा, भांग, चरस आदि नशीले पदार्थों का सेवन इतिहास में उपलब्ध है। बौधकाल में अवैध मदिरापान को हेय दृष्टि से देखा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा शुकनीति में मद्यपान का सिलसिला प्राचीन समय से आरंभ माना गया और आज तक प्रचलन में है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920–21 में चलाए गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ मद्यनिषेध आन्दोलन भी चलाया गया।

कांग्रेसी नेताओं ने शराब, गांजा, भांग, चरस तथा अफ्रोम के ठेकों के आगे धरने दिये तथा इन दुकानों को बंद करने की मांग की। 1951 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के गिर जाने के बाद मद्यनिषेध नीति ढीली हो गई परन्तु आजादी के बाद से पुनः लागू किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में यह उल्लेख है कि राज्य चिकित्सा संबंधी उपयोग को छोड़कर उन मादक पेयों और औषधियों के प्रचलन पर रोक लगाने का प्रयत्न करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नशीले पदार्थों के सेवन पर विचार करने के लिए तीन अखिल भारतीय विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। प्रथम गोष्ठी 1949 में दिल्ली में हुई, इसमें विचार हुआ कि दस वर्ष के अन्दर देश में अफीम की बिक्री बन्द कर दी जाएगी और इसका प्रयोग केवल चिकित्सकीय क्षेत्र में रहेगा। दूसरी विचार गोष्ठी 1956 में शिमला में हुई. इसमें सफलता तथा असफलता पर विचार किया गया और निम्न सिफारिशें की गई–

सबसे पहले शराब बेचने वाले खुद यह तय करे कि अब मैं शराब नहीं बेचूंगा तो सरकार इनकी मदद कर सकती है। देखा जाता है कि परिवार वाले तो इसके लिए तैयार रहते है किन्तु व्यक्ति स्वयं व्यवसाय बंद नहीं करना चाहता। ऐसी हालत में सरकार का प्रयास सार्थक हो ही नहीं सकता।''[5]

सरकार द्वारा अवैध मदिरा का व्यवसाय करने वाले विशे"ा जाति/जनजाति के लोगों को मदिरा व्यवसाय से दूर कर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु विभिन्न याजनाऐं चलाई जा रही है एवं उनको वैकल्पिक व्यवसाय के अवसर एवं कृ"िभूमि पट्टे पर देकर उनको सक्षम बनाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त नशीले पदार्थों के विरूद्ध जनमत तैयार करने वाले स्वयंसेवी संगठनों और पोस्टर प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा भी लोगों को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देना है। वास्तविकता यह है कि मदिरा व्यवसाय एवं मदिरा उपभोग प्रति"ोध आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इसके द्वारा जनसाधारण के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने तथा लोगों की कार्य–कुशलता को बढ़ाने में भारी मदद मिल सकती है।

वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन को संगठित करने में भी मद्यनिषेध की विशेष भूमिका है। मद्यनिषेध का सबसे अधिक लाभ शारीरिक श्रम करने वाले उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आय का एक बड़ा भाग इस दुर्व्यसन पर समाप्त हो जाता है। अपराधों को कम करने तथा भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी नशा निषेध आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. उजाले की ओर केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान रांची, पृ.25
2. उजाले की ओर केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान रांची, पृ.39
3. लकोहलिज्म रिहाब : टाइप्स ऑफ ट्रीटमेन्ट एलकोलिज्म, अभिगमन, 2021, पृ.59
4. पाण्डेय संगीत एवं तेजस्कर, भारत में सामाजिक समस्यायें, मैक्ग्राहिल पब्लिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली, संस्करण 2009, पृ.143
5. एलकोहलिज्म रिहाब : टाइप्स ऑफ ट्रीटमेन्ट एलकोलिज्म, अभिगमन, 2021, पृ.73